विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तरः-

---

	प्रश्न	उत्तर
19 (क)	क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के चयन हेतु उ0प्र0 शिक्षा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का कोई प्रस्ताव है?	उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के चयन हेतु 'उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग' के गठन हेतु 'उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 'उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023' को पारित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ख)	क्या उक्त संशोधन के प्रस्ताव में शिक्षा विभाग के सभी विभागों को एक में सम्मिलित करने से चयन प्रक्रिया में विलम्ब होगा या शीघ्र प्रक्रिया होगी?	शिक्षा विभाग के सभी विभागों को एक में सम्मिलित करने से चयन प्रक्रिया तीव्र होगी।
(ग)	क्या सरकार प्राथमिक से उच्च सभी शिक्षा विभागों को एक में सम्मिलित कर पूरी शिक्षा विभाग के चयन की प्रक्रिया को विलम्ब करना चाहती है?	जी नहीं।
(घ)	जब सभी विभाग अलग-अलग काम कर रहे थे तब शिक्षकों एवं कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया 02-02 साल लम्बित रहती थी और आज भी लम्बित है, तो सभी विभागों को एक साथ सम्मिलित करने से चयन प्रक्रिया जल्द पूरी कैसे करायेगें?	उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री
उच्च शिक्षा विभाग।